

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

दिनांक: 27.11.2019

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/287
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00188
CICOM/R/2019/00667

अपीलकर्ता : श्री नवाब बेग,
10-बापू कालोनी, गणेश पुरा रोड,
कोटा 2, राजस्थान ।

निर्णय की तारीख: 27.11.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.08.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.09.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	10.10.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	18526/24.10.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 08.08.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं के प्रतिउत्तर में मैं श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 08.08.2019 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संबोधित है, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2019 के पत्र के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया जो कि दिनांक 05.09.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ तथा दिनांक 23.09.2019 को श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषित की गई । केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना सपष्ट एवं बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । साथ ही अपीलकर्ता को अवगत करवाया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील में केवल संबंधित आर.टी.आई. आवेदन में उल्लिखित मुद्दों पर विचार किया जाता है, प्रथम अपील आवेदन में उल्लेखित अन्य मुद्दों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।
3. तदुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है ।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

शान्ति प्रिय बेक

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

